

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.
राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./69/2022/बाड़मेर
अपीलांट

अपीलांट	रेस्पोंडेंटगण
1. मृतक मिसरा पुत्र मोती का.मु. 1/1हरीराम पुत्र मिसराराम 1/2पारसराम पुत्र मिसराराम जाति भील निवासी मांगला भीलों की ढाणी तहसील समदड़ी	1. विमल पुत्र जगदीशचन्द्र 2. हितेश पुत्र जगदीशचन्द्र 3. कविता पुत्री जगदीशचन्द्र 4. शकुन्ताला वैवा जगदीशचन्द्र 5. ओमप्रकाश पुत्र पुरुषोत्तमदास 6. जगदीश पुत्र पुरुषोत्तमदास 7. प्रेमप्रकाश पुत्र पुरुषोत्तमदास 8. गोपीकेशन पुत्र पुरुषोत्तमदास 9. प्रकाशचन्द पुत्र भंवरलाल 10. सम्पतराज पुत्र भंवरलाल 11. मिश्रीमल पुत्र भंवरलाल 12. गौतमचन्द पुत्र भंवरलाल जाति माहेश्वरी सभी निवासीयान हनुमान मंदिर के पास बाड़मेर 13. राजस्थान सरकार जरीये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर, सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 131/2001 बउनवान मृतक मिसरा के का.मु. वगैरह बनाम विमल वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2022 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नरपतसिंह भाटी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रमेश मंगल रेस्पोंडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:-21.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सभी रेस्पोंडेंटान के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया गया था कि वादी अनुसूचित जन जाति 'भील' जाति के सदस्यगण हैं, जिन्हे धारा 42 रा. का. अधि. का संरक्षण प्राप्त हैं। खालसा गांव मांगला फार्म (वर्तमान मांगला भीलो की ढाणी) की राजस्व सीमा में आराजी खसरा संख्या 270, 343, 346 रकबा क्रमशः 04, 14.08, 120 बीघा आई हुई है। उक्त भूमि दिनांक 15.10.1955 से पहले व बाद में तथा दिनांक 01.05.1964 को वादी के पिता मोतीजी के कब्जा काश्त की थी। खालसा गांव मांगला का द्वितीय भू प्रबंध वर्ष संवत् 2024 से 2029 में हुआ। सेटलमेंट पूर्व से वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त वादी के पिता मोतीजी का रहा और मोतीजी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के देहांत के बाद से निरन्तर व सत्त कब्जा काश्त वादी का नियमित रूप से बदस्तूर कायम हैं। भू प्रबंध पर्चा लगान वादी के पिता स्व. मोतीजी के नाम जारी हुआ तथा कब्जा काश्त वादी के पिता व वादी का बदस्तूर रहा। प्रतिवादी जो बहुत धनाढ्य व प्रभावशाली व्यक्ति हैं इन्होंने सेटलमेंट कर्मचारियों से मिलावट कर राजस्व अभिलेख में हेरा फेरी कर प्रतिवादी के नाम अवैध रूप से दर्ज करवा दिये। जबकि सेटलमेंट अधिकारियों को सेटलमेंट ऑपरेशन में भूमि की किरम, कृषकों के अधिकार व राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों का परिवर्तन करने का अधिकार उन्हें नहीं था। इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश दस्तावेजात का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपील अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन कि खालसा गांव मांगला फार्म (वर्तमान मांगला भीलो की ढाणी) की राजस्व सीमा में आराजी खसरा संख्या 270, 343, 346 रकबा क्रमशः 04, 14.08, 120 बीघा आई हुई है। उक्त भूमि दिनांक 15.10.1955 से पहले व बाद में तथा दिनांक 01.05.1964 को वादी के पिता मोतीजी के कब्जा काश्त की थी। खालसा गांव मांगला का द्वितीय भू प्रबंध वर्ष संवत् 2024 से 2029 में हुआ। सेटलमेंट पूर्व से वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त वादी के पिता मोतीजी का रहा और मोतीजी के देहांत के बाद से निरन्तर व सत्त कब्जा काश्त वादी का नियमित रूप से बदस्तूर कायम हैं। भू प्रबंध पर्चा लगान वादी के पिता स्व. मोतीजी के नाम जारी हुआ तथा कब्जा काश्त वादी के पिता व वादी का बदस्तूर रहा। प्रतिवादी जो बहुत धनाढ्य व प्रभावशाली व्यक्ति हैं इन्होंने सेटलमेंट कर्मचारियों से मिलावट कर राजस्व अभिलेख में हेरा फेरी कर प्रतिवादी के नाम अवैध रूप से दर्ज करवा दिये। जबकि सेटलमेंट अधिकारियों को सेटलमेंट ऑपरेशन में भूमि की किरम, कृषकों के अधिकार व राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों का परिवर्तन करने का अधिकार उन्हें नहीं था। किसी भी व्यक्ति के खातेदारी हक समाप्त करना व अन्य किसी को खातेदारी हक देने का अधिकार भी सेटलमेंट विभाग को नहीं था। सामान्य सेटलमेंट ऑपरेशन में केवल गत भू प्रबंध

(नयनोत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाइमेर

की प्रविष्टियों का मात्र पुनरावृत्ति तक का ही इन्द्राज करना था तथा यदि पुनरावृत्ति के अलावा यदि कोई प्रविष्टियां की जाती हैं तो वे विधि की नजर में आदित शून्य होती हैं। संवत् 2010 व बाद में वादग्रस्त भूमि का गिरदावरी अभिलेख में वादी के पिता वीरमाराम का काश्त दर्ज होता रहा तथा मौके पर वादी का कब्जा काश्त हैं व स्थायी रहवास की ढाणीयां पिढियों पुरानी बनी हुई हैं। तथा इसके आगे वाद पत्र में यह अंकित किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी ने कभी काश्त नहीं की। प्रतिवादी ने अवैध व अनुचित तरीकों से वादी के पिता व वादी के नाम हटवा दिये। जिसका कोई अधिकार प्रतिवादी को नहीं था। अदालत मातहत ने राजस्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों एवं राजस्व विधि के स्थापित सिद्धान्तों का मनमानी तरंग पर उल्लघन एवं अवहेलना कर प्रश्नगत आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। तनकी संख्या 01 का निर्णय में निस्तारण करते वक्त वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात 1 ता 12 जो प्रदर्शित करवाये गये उनको नहीं मानने का कोई कारण नहीं लिखा है तथा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से सही विश्लेषण व परिचलन नहीं किया है। मात्र यह अंकन करते हुए कि वादी ने अपनी साक्ष्य में जिरह में वादग्रस्त भूमि के खसरा नंबर याद नहीं होने का कथन करता हैं, उक्त वाक्यात लिखते हुए तनकी संख्या 01 वादी के विरुद्ध निर्णित की जो कि मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का सही विश्लेषण नहीं करके मनमाने आधार पर निर्णित किये हैं। अपीलाधीन आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से वादी के बाप दादाओ के कब्जा काश्त में रही व बाद में निरंतर रही तथा आज भी वादी काबिज काश्तकार हैं, तथा खेतीहर आधिपत्य के आधार पर वादी ने खातेदारी के रूप में घोषणा का दावा पेश किया तथा वादी का वाद साबित करने हेतु अभिलेख पर पर्याप्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मूल वाद के विचारण में निहित प्रक्रियाओं की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर पारित किया गया। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होते वक्त प्रतिवादीगण का व उनके पूर्वाधिकारियों की ही खातेदारी थी व कब्जा काश्त था, जिससे उन्हें खातेदारी अधिकार दिये गये एवं द्वितीय भू प्रबंध के वक्त भी प्रतिवादीगण का ही एवं उनके पूर्वाधिकारियों को खातेदारी अधिकार दिये गये। वादी एवं उसके पूर्वाधिकारी प्रतिवादीगण एवं उनके

(नमनीति दुपार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाइमेर

पूर्वाधिकारियों के यहां बतौर श्रमिक कार्य करते थे, ग्राम मांगला वर्तमान भीलों की ढाणी की भूमि पर प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वाधिकारी अपनी स्वयं की लागत लगाकर एवं देख रेख करके काश्त करते थे। भील परिवार एवं वादीगण के पूर्वाधिकारियों को प्रतिवादीगण के द्वारा सुड़ करने, नैदाण एव धान कटाई व सफाई हेतु बतौर श्रमिक रखा जाता था। खड़ाई का कार्य भी प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियों के द्वारा स्वयं की लागत लगाकर करवाया जाता था। अपीलाधीन आराजी पर वादीगण या उनके पूर्वाधिकारियों का वाद ग्रस्त भूमि पर कभी भी किसी भी प्रकार से कोई कब्जा काश्त स्वतंत्र रूप से नहीं रहा है न ही वादग्रस्त भूमि या अन्य किसी खसरा की भूमि पर निरन्तर ही कोई कब्जा काश्त रहा। वादीगण के पूर्वाधिकारियों द्वारा सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों को मुगालता देकर बिना किसी विधिक अधिकार से अपने नाम के भूमि माप के कच्चे पट्टे बनवा लिये थे, जो हर प्रकार से गलत व अवैध थे, जिन्हे सेटलमेंट अधिकारियों ने बाद जांच भूमि के पट्टे प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियों के नाम जारी किये गये, जिसके विरुद्ध वादीगण एवं पूर्वाधिकारियों व अन्य भील परिवार के सदस्यों के द्वारा सेटलमेंट विभाग में उजरदारिया व अपील भी पेश की जो सभी बाद सुनवाई निरस्त की गई। अपीलाधीन आराजी वादीगण/अपीलांटस के खातेदारी की भूमि कभी भी नहीं रही। सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा अभिलेख की पूर्व प्रविशिष्ट में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। रेकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि सेटलमेंट से पूर्व भी अपीलाधीन आराजी प्रतिवादीगण व उनके पूर्वाधिकारियों की खातेदारी भूमि थी, जिससे सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा कोई गलती या लापरवाही नहीं की गई। अपीलांट/वादीगण का यह कथन गलत है कि प्रतिवादीगण ने सेटलमेंट अधिकारियों से सांठ गांठ व मिलावट करके प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हो। वादीगण/अपीलांटस के द्वारा पेश गिरदावरी अभिलेख में वादीगण का नाम कहीं दर्ज नहीं है। वादीगण के द्वारा पेश खसरा गिरदावरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियों का वादग्रस्त भूमि पर वक्त लागू काश्तकारी अधिनियम के कोई कब्जा काश्त नहीं था, मात्र एक या दो वर्ष की गिरदावरी में काश्त दर्ज होने से कोई अधिकार पैदा नहीं होते हैं। खसरा गिरदावरी के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि वादीगण एवं उनके पूर्वाधिकारी बतौर श्रमिक कार्यरत थे। राजस्व अधिकारियों से मिलावट करके एक या दो वर्ष में अपना काश्त दर्ज भी करवा दिया है तो वह किसी भी रूप से प्रतिवादीगण के हकों व अधिकारों के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। अपीलांटस/वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि के संबंध में राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष झूठी शिकायत की थी, जिसमें उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जांच करने के बाद

(नयनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन आराजी व अन्य खसरो की तारबंदी की हुई भूमि पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त माना गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। दोनों पक्षों की बाद समुचित सुनवाई अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील रेस्पोंडेंटस को तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में मूल वाद एवं जबावदावे के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हस्तगत प्रकरण में तीन तनकी कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में कायम तनकीयात का विधि सम्मत विवेचन किया गया। गवाह PW-1 हरीराम वादी स्वयं ने अपने दस्तावेज में जमाबंदी प्रदर्श-1 ता 3 पेश की, जो प्रतिवादीगण के नाम की है। गिरदावरी रिपोर्ट प्रदर्श-8 ता 10 पेश की, जिसमें खातेदारी के कॉलम में वादीगण की काश्त का इन्द्राज है, जबकि उक्त भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी की राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। जिरह के दौरान उक्त वादग्रस्त खेत के खसरा रकबा के संबंध में वादी हरीराम याद नहीं होने का कहता है व बिगोड़ी की रसीद का भी नहीं होना बताता है ऐसी स्थिति में जग गवाह को किस भूमि के बाबत दावा किया है, उसका ज्ञान भी वादीगण गवाह को नहीं है तथा वादीगण गवाह उक्त भूमि के नाप का भी स्पष्ट कथन नहीं करता है न ही बिगोड़ी की रसीदों के बारे में कोई कथन करता है। PW-2 भूराराम जो कि अपने आपको चैनमेन होना बताता है ग्राम जेठन्तरी का निवासी है को वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर, रकबे की जानकारी नहीं होना बताता है व वादग्रस्त भूमि के रेकॉर्ड में किसका नाम है, जिसके बारे में भी कोई जानकारी होना नहीं बताता है। इससे साफ जाहिर होता है कि अपीलाधीन आराजी के बारे में गवाह को कोई जानकारी नहीं है। अपीलांट/वादीगण श्रमिक के तौर पर अपीलाधीन आराजी पर काश्त करते हैं। प्रतिवादीगण के गवाह DW-1 वादी के वाद का खंडन करते हुए अपने काउंटर क्लेम को साबित करने हेतु बयानों में बताया कि वादग्रस्त भूमि मांगला फार्म की बनाई हुई चक की भूमि का खातेदारी का खेत हैं एवं मेरे पूर्वजों के द्वारा ही लागत लगाकर काश्त की जाती थी एवं भील परिवार के सदस्यों को काश्तकारी के कार्य

(मन्गीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सूड, निदान, कटाई व धान साफ करने हेतु बतौर श्रमिक रखे जाते थे। वादीगण या उनके पूर्वजों का कभी भी कोई कब्जा काश्त ही नहीं रहा अलबत्ता मेरे पूर्वजों के द्वारा भील परिवार के सदस्य बतौर श्रमिक कार्य करते थे। प्रतिवादीगण के महाहाने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये जो पत्रायली पर मौजूद है। पत्रायली पर प्रदर्शित दस्तावेजात अपीलाधीन आराजी को वक्त सेटलमेंट से आज तक प्रतिवादीगण की खातेदारी प्रमाणित करते हैं। प्रदर्श-8 ता प्रदर्श-11 में स्पष्ट अंकन है कि सेठों की जोड़ी से काश्त करवाते मगर शारीरिक कार्य शिकमी काश्तकार करता है। इससे प्रमाणित है कि वादीगण अपीलाधीन आराजी पर श्रमिक के रूप में ही काश्त करते थे जबकि अपीलाधीन आराजी के खातेदार प्रतिवादीगण हैं। अपीलांत/वादीगण का अपीलाधीन आराजी पर स्वतंत्र कब्जा काश्त नहीं होकर श्रमिक के रूप में कार्य करते आ रहे है। EXA-16 To EXA-17 पट्टा बापी गांव मांगला में अपीलाधीन आराजी का पट्टा प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारियों के नाम से जारी किया गया। इससे प्रमाणित है कि अपीलाधीन आराजी प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि हैं। जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा प्रमुख शासन सचिव गृह व न्याय राजस्थान, जयपुर को भेजी रिपोर्ट में अपीलाधीन आराजी पर प्रतिवादीगण कब्जा काश्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खाते अनुसार ही पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीन तनकीयात कायम की गई जिसमें से वादीगण/अपीलांतस द्वारा एक भी तनकी को अपने पक्ष में साबित करने का कोई आधार एवं साक्ष्य पेश नहीं करने से बाद विस्तृत विवेचन के उनके विरुद्ध निर्णित की गई। सेटलमेंट अधिकारियों को वक्त सेटलमेंट प्रविष्टियों में परिवर्तन करने का कोई हक या अधिकार नहीं था, (अपीलाधीन आराजी भी प्रतिवादीगण की सेटलमेंट से पूर्व खातेदारी की थी, जिससे सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा विधि अनुसार प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार दिये गये) इस अवधारणा की पुष्टि निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों से होती है:-

1- Pana V/s Rampal 1969 RRD Page No. 231

"Settlement-Entry in previous settlement to be repeated unless change occurred as result of order of competent authority or succession or transfer. certified by mutation order failure to ascertain how change in subsequent entries occurred without order of competent authority render findings perverse and based on no record.


2- State of Rajasthan V/s Jeth Mal Luniya 1973 RRD Page No. 702
 Khatedari rights-Change in Jamabandi entries held that Khatedari right derogatory to title of recorded Khatedar cannot be conferred by A.S.O. or A.R.O. during settlement operation without competent order Jamabandi entries can be changed

(समर्थित दुपार)
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर

only by a competent order passed by a court or panchayat during course of mutation proceeding officer of settlement deptt. cannot change Khatedari right merely because someone else found in possession and Khatedari right cannot be granted to such person by then ASO, not empowered to confer Khatedari right in respect of land recorded in name of another person in record of right on a person in possession in opinion of A.S.O. – Khatedari rights are acquired by operation of law or by act of parties- Procedure adopted, held wholly irregular and illegal where nothing on record to show that Pujari acquired Khatedari right Ref. accepted and entries, ordered to be replaced.

- 3- Maladeen V/s Sri ram 1983 RRD Page No. 64
Settlement entries- A.S.O. had no authority to change name of recorded Khatedar without any order of competent court A.S.O. has only to repeat earlier entry of Jamabandi. – 1969 RRD 231 referred-petitioner, held not become khatedar by an illegal act of ASO since entries made by fraud-petitioner cannot be treated as tenant on basis of such entry.
- 4- Mst. Landhi V/s Bhura Ram 1983 RRD Page No. 364
Settlement powers of settlement authority –Application for entering land on basis of land possession and a decree of SDO U/s 178 RT Act, accepted by ASO where land was in Khatedari of another person. Held, order of ASO could not be based on decree of competent court since decree of SDO, set aside in review. Settlement authorities have not power to grant Khatedari right settlement authorities, not empowered to change any entry in previous settlement records unless change occurred as a result of an order of competent authority or acquisition or transfer, certified by mutation order-1980 RRD 48 re-lying on 1969 RRD 231 & 1973 RRD 31 followed 1965 RRD 270, not applicable.
- 5- Tarsingh & Ors V/s Khet Singh & Ors 2003 RRD Page No. 298
“भू प्रबन्ध विभाग को सैटलमेंट के दौरान मात्र पुरानी प्रविष्टियों को दोहराने का ही अधिकार है न कि उन्हें परिवर्तित किये जाने का। यदि किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री अथवा सक्षम अधिकारी के आदेश से परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो वो उक्त आधार पर कर सकेगा अन्यथा नहीं। सहायक भू प्रबंधक अधिकारी को न तो किसी के कब्जे काश्त की व खुद काश्त की भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने का अधिकार है और न ही गोचर।
6. RRT 2016(1) Page 374 राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित विधि का सारवान सिद्धांत है कि Settlement department was not competent to change the entries of the record & they are bound to repeat the entries.

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बाद विधिवत सुनवाई अपीलांटस/वादीगण की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा


(निदेशक/सु. 100)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

1049

निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन किया गया। अभिलेख पर प्रकट इन राय तथ्यों को देखते हुए अपीलांत/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण की गई। उपरोक्त विवेचन, तथ्यों के आलोक में तथा मैरी सुविचारित राय में अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांत सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 131/2001 बडनवान मृतक मिसरा के का.मु. वगैरह बनाम विमल वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2022 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/4/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

21/4/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर